

**शहरी सहकारी बैंक द्वारा भिन्न मुहल्ले / नगरपालिका वार्ड में (उसके) कार्यालय /
विभागों के स्थानांतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के
लिए प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी**

1	(i) बैंक का नाम	
	(ii) (क) प्रधान कार्यालय / केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	(ख) बैंक का पंजीकृत पता	
	(iii) बैंक के कार्यालयों की कुल संख्या :	
	(iv) कार्यालय / विभाग / विभागों का नाम जिनका स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है	
	(v) उपर्युक्त मद (iv) में उल्लिखित कार्यालय / विभाग / विभागों को खालने हेतु दी गई लाइसेंस सं. / अनुमति सं.	लाइसेंस सं. : अनुमति सं. : दिनांक :
	(vi) मद (iv) में उल्लिखित कार्यालय / विभाग / विभागों के वर्तमान स्थान का पता	
	(vii) मद (iv) में दिए गए कार्यालय / विभाग / विभागों को जहाँ स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, वहाँ का पता	
	(viii) पुराने और नए पतों के बीच की दूरी :	
	(ix) क्या ऊपर दिए गए मद (vi) के पते पर कार्य कर रहे बैंक के सभी विभाग / संपूर्ण कार्यालय को स्थानांतरित किएक जाने का प्रस्ताव है	हाँ / नहीं
	(x) यदि मद (ix) का जवाब नहीं है तो कृपया उल्लेख करें	
	(क) वर्तमान जगह पर कार्य कर रहे सभी विभागों / कार्यालयों के नाम वे विभाग जो प्रस्तावित स्थानांतरण के बाद वर्तमान स्थान पर कार्य कर रहेंगे	
	(xi) स्थानांतरण के कारण	
2	(i) क्या शहरी / कस्बे जहाँ प्रश्नगत कार्यालय / विभाग स्थापित है, अर्धशहरी, शहरी या महानगरीय केंद्र है ? कृपया स्पष्ट करें ।	
	(ii) क्या मुहल्ला जहाँ कार्यालय / विभाग स्थानांतरित किया जाना है वहाँ	
	(क) अधिकांश रिहायशी मकान है ?	
	(ख) अधिकांश वाणिज्यिक बस्ती है ?	

(ग) औद्योगिक क्षेत्र है ?	
(iii) क्या नए स्थान के 400 मीटर के भीतर, दूसरे शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंकों की (कोई) शाखाएं हैं ? यदि ऐसा है, तो ब्योरा दीजिए (अर्थात् उनके नाम तथा नए स्थान से उनकी दूरी)	
(iv) जिस भवन में कार्यालय / विभाग स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, क्या उस भवन में या इसके साथवाले भवन में या सामने दूसरा कोई शहरी सहकारी या वाणिज्य बैंक भी स्थित है ? यदि हाँ ! तो ब्योरा दें। (यदि मद (iii) या (iv) का उत्तर हाँ है, तो कृपया एक मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें (i) वर्तमान और प्रस्तावित परिसर का स्थान तथा (ii) वर्तमान और प्रस्तावित परिसर के 500 मीटर के भीतर अन्य सभी बैंकों के स्थान संकेतित किए गए हों।	
(v)* बैंक, जिस इलाके में अपना कार्यालय स्थानांतरण के बाद स्थापित करना चाहता है, उस इलाके का शीघ्र सर्वेक्षण कर निम्न बातें दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें:	
(क) इलाके की जनसंख्या	
(ख) इलाके की भौगोलिक सीमाएं	
(ग) इलाके में स्थित शहरी सहकारी और वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या (बैंकों के नाम दें)	
@ शाखा (या शाखा के बैंकिंग विभाग) के दूसरे मुहल्ले में स्थानांतरण की दशा में ही मद सं.2(v) के अंतर्गत सूचना दी जाए। प्रशासनिक कार्यालयों के स्थानांतरण पर जानकारी न दी जाए।	
(घ) क्षेत्र में चल रही आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप	
	(लाख रुपए में)
	जमाराशि अग्रिम
(ङ) शाखा के स्थानांतरण के प्रस्ताव के समय शाखा के बैंकिंग व्यवसाय का मौजूदा स्तर	
(च) नए स्थान पर संभावित नए बैंकिंग व्यवसाय के प्रकार	
	(लाख रुपए में)
	जमाराशि अग्रिम
(घ) स्थानांतरण से 2 वर्ष के अंत में अपेक्षित बैंकिंग व्यवसाय की कुल मात्रा	
पुराना कारोबार	
नया कारोबार	
योग	
(vi) कृपया प्रस्तावित मुहल्ले की स्थिति / छौहद्वी	

	दर्शनी वाला मानचित्र संलग्न करें	
3	(i) क्या बैंक परिसर पट्टे / किराए पर या स्वामित्व के आधार पर अधिग्रहित करने या अपना भवन निर्मित करने का प्रस्ताव करता है ?	
	(ii) खरीद / स्वयं निर्माण करने के मामले में (क) क्या बैंक ने निधियों के निवेश के लिए पंजीयक, सहकारी सोसायटियों की अनुमति प्राप्त कर ली है / आवेदन किया है	
	(ख) यदि हाँ, कृपया संबंधित पत्र की सं./ दिनांक का उल्लेख करें और उसकी प्रति संलग्न करें	
	(iii)* क्या बैंक ने प्रस्तावित परिसर पर पहले ही कोई व्यय कर दिया है या कोई पुख्ता वचन दे दिया है या उसके लिए कोई समझौता किया है ?	
4.	प्रधान कार्यालय / प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के मामले में क्या बैंक का पंजीकृत पता भी बदलेगा या नहीं ? क्या बैंक की उपविधियों में संशोधन की आवश्यकता होगी ? (कृपया उपविधियों की दो प्रति संलग्न करें)	

	तारीख :	हस्ताक्षर ----- (बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम)
	अग्रेषित	
	भारतीय रिजर्व बैंक शाहरी बैंक विभाग ----- कार्यालय	
	संलग्नक	

* परिपत्र सं.शबैवि.आरबीएल.77/जे(शिफिंग)-85/86 दिनांक 12 फरवरी 1986 के अनुसार बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने तक किसी कार्यालय के स्थानांतरण के लिए परिसर के अधिग्रहण के संबंध में कोई पुख्ता वचन नहीं देना चाहिए। इसलिए, किसी बैंक ने भूलवश कोई वचनबद्धता दे दी हो तो उसे स्वयं अपने हित में उसे निरस्त करने या निष्प्रभावी करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस आधार पर कि बैंक ने पहले ही परिसर का अधिग्रहण कर लिया है या उसके लिए कोई समझौता कर लिया है, इस प्रकार के मामलों में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

टिप्पणी: कृपया इस अनुबंध तथा आवश्यक संलग्नक / दस्तावेज / स्केच मानचित्र आदि दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।